न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{07}{06}/\frac{11-12}{2012}$ चन्द्रमणि कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
05.09.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में चन्द्रमणि कुमार पे0 स्व0 बबुजन यादव साकिन+थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{07}{06}/\frac{11-12}{2012}$ चन्द्रमणि कुमार पे0 स्व0 बबुजन यादव साकिन+थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 345 दिनांक 04.06.2011 के बेछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत अलौली के कुछ स्थानीय नेता अपीलार्थी से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते थे जिसकी भरपाई मजबूरन जब अपीलार्थी नहीं किया तो चन्द स्थानीय अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले नेताओं ने षड्यंत्र वो साजिश कर स्वयं एक आवेदन अपीलार्थी के विरूद्ध तैयार कर उस पर फर्जी अंगूठे का निशान दिलवाकर एवं अपने ही आदमी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक झूठा शिकायत पत्र जिला पदाधिकारी के जनता दरवार में दिनांक 26.05.2011 को दिलवाया, जिस पर जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को भेज दिया गया। उनका यह भी कहना है कि जब शिकायत पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया था तो फिर शिकायतकर्त्ता आवेदन दिनांक 26.05.2011 की जांच दिनांक 27.05.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अलौली जाकर किस प्रकार एवं किस पदाधिकारी के आदेशानुसार किया गया तथा अपने पत्रांक 520, दिनांक 27.05.2011 से जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया तथा उसकी प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा, जो अपने आप में आश्चर्यजनक एवं विरोधाभाषी प्रतीत होता है। और उपर्युक्त वर्णित क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि कथित शिकायतकर्त्ता का आवेदन दिनांक 26.05.2011 के पीछे लगे अलौली पंचायत के नेताओं की मिली भगत से निश्चित रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द करवाया गया। वस्तुतः अपीलार्थी अनुज्ञप्तिधारी ने जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी	

प्रखंड–चौथम, जिला– खगड़िया से कारण पृच्छा की मांग की गयी और उनके द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। दिनांक 14.07.2017 को सम्पन्न बैठक में संबंधित मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम से जानकारी प्राप्त की गयी और उनके द्वारा बताया गया कि निरीक्षण हेतु श्री किशोर कुमार के व्यापार स्थल पर जाने पर प्रायः उनकी दूकान बन्द पायी जाती है जो नियमानुकूल नहीं पाया गया तथा व्यापार के दृष्टिकोण से श्री कुमार का आचरण प्रतिकूल पाया गया और अपीलार्थी द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं करने और आदेश के उल्लंघन के आरोप पर किशोर कुमार पिता स्व0 रामशरण साह, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत धुतौली मलपा प्रखंड–चौथम, जिला– खगड़िया के अनुज्ञप्ति सं0 1सी0/13 को अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 218/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 14.07.2017 से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि अपीलार्थी के बीमार होने के कारण उसकी समझ बुझ ज्ञानता उसके दिलो दिमाग से बाहर हो गया। अपीलार्थी द्वारा कभी कोई भूलवश चूक नहीं किया गया और प्रतिमाह निष्ठा, ईमानदारी समझनुसार लाभुको को खाद्यान्न आपूर्ति किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जन शिकायत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बैक ड्राफ्ट दिनांक 14.07.2017 को जमा किया है अपीलार्थी द्वारा समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया उसे क्षमा किया जाए और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 218/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 14.07.2017 को रद्द किया जाय तथा अपीलार्थी को खाद्यान्न आपूर्ति करने का आदेश दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा माह जून एवं जुलाई, 2017 का खाद्यान्न की राशि जमा नहीं किये जाने एवं खाद्यान्न का आवंटन लैप्स होने और इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने उनके कर्त्तव्यों की प्रति लापरवाही का द्योतक है तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है।

अपीलार्थी अपने बचाव में यह तर्क दिया है कि वे बीमार पड़ जाने के कारण बैंक ड्राफ्ट समय पर जमा नहीं कर सके और इसी कारण से वे अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर भी नहीं दे सके। अपीलार्थी का यह तर्क एकदम कमजोर तर्क है। इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चल पाये कि वे कितने बीमार थे।

उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली एवं खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सबसे वंचित समुहों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की चूक से बड़ी संख्या में लाभूक परिवार खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। जहाँ तक अपीलार्थी के बीमार होने का प्रश्न है, इस संबंध में भी नियम स्पष्ट है। इसके आधार पर उन्हें कोई छूट देना उचित नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करने के कारण लगातार दो माह तक बड़ी संख्या में लाभूक खाद्यान्न पाने से वंचित रहे। इस संबंध में कोई भी तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता, यह स्पष्टतः बिक्रेता की लापरवाही है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 218/अनु0 आपूर्ति, दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

संग्राहर्त्ता,
खगड़िया।

संग्राहर्त्ता,
खगड़िया।